# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 11/2019

महेश बनाम रामावतार आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 बाबत

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र पारीक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

## –आदेश–

दिनांकः– 05.02.2021

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आवेदन संख्या 18/2017 में पारित निर्णय अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी निर्णय दिनांक 17.12.2018 को अपास्त कर पुन नम्बर पर लेने हेतु आदेश 41 नियम 19 के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा विधि विरूद्व रूप से अपीलांट की कृषि भूमि पर रेस्पोडेंट के पक्ष में आवासीय पट्टा दिये जाने पर अपील प्रस्तुत की गई थी। इस अपील के लम्बित रहते रेस्पोडेंट ने माननीय राजस्व मण्डल ने रिविजन संख्या 4233/06 पेश की जो दिनांक 03.03.2010 को निस्तारित की जाकर पत्रावली इस न्यायालय को लौटाई गई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2010 को अपील की पत्रावली आदेश 41 नियम 27 सीपीसी की बहस हेतु दिनांक 19.05.2010 को नियत की गई। सहवन से अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह अपील नोट प्रेस कर दी गई। इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 27.03.2014 को आदेश 41 नियम 19 के तहत अपील को पुन नम्बर पर लेकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निवेदन किया। यह आवेदन रेस्पोडेंट की तलबी में चल रहा था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसी दौरान दिनांक 17.12.2018 को इस न्यायालय द्वारा यह आवेदन आदेश 9 नियम 5 के तहत तलबी पेश नही करने पर खारिज कर दिया गया। विधि अनुसार इस आवेदन में आदेश 9 नियम 5 के प्रावधान लागु नही होते है क्योंकि दिनांक 19.05.2010 को यह अपील खारिज की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 41 नियम 17 एवं 19 लागु होते है। इसके साथ ही धारा 151 के आवेदन में न्यायालय को शक्तियां प्राप्त है कि न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी.सी.सी. 2011(4) पेज 438 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने उत्तरदाता के समक्ष अपने अधिवक्ता श्री राधेश्याम बियाला को मेरे सामने दूरभाष/टेलीफोन पर अपील को नोट प्रेस में खारिज करवाने को कहा था। अपील लगभग 12 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है। नोट प्रेस में खारिज कराने का आदेश दिनांक 19.05.2010 को किया गया था जबकि प्रार्थना पत्र 41 नियम 19 सीपीसी दिनांक 27.03.2014 को प्रस्तुत की गई है। जो लगभग चार वर्ष बाद प्रस्तुत किये जाने के परिणाम स्वरूप मियाद बाहर है। अपीलार्थी ने अपने विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर यह अंकित नही किया है कि उसका प्रार्थना पत्र किस प्रकार अन्दर मियाद है अत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आदेश 9 नियम 5 के तहत पारित आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय है। इस आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 19 के तहत प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन रहा है कि अपीलांट की कृषि भूमि पर रेस्पोडेंट के पक्ष में आवासीय पट्टा दिये जाने पर अपील प्रस्तुत की गई थी। इस अपील के लम्बित रहते रेस्पोडेंट ने माननीय राजस्व मण्डल ने रिविजन संख्या 4233/06 पेश की जो दिनांक 03.03.2010 को निस्तारित की जाकर पत्रावली इस न्यायालय को लौटाई गई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2010 को अपील की पत्रावली आदेश 41 नियम 27 सीपीसी की बहस हेतु दिनांक 19.05.2010 को नियत की गई। सहवन से अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह अपील नोट प्रेस कर दी गई। इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 27.03.2014 को आदेश 41 नियम 19 के तहत अपील को पुन नम्बर पर लेकर गुणावगुण पर

अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी
सीकर

निस्तारण हेतु निवेदन किया। यह आवेदन रेस्पोडेंट की तलबी में चल रहा था। इसी दौरान दिनांक 17.12.2018 को इस न्यायालय द्वारा यह आवेदन आदेश 9 नियम 5 के तहत तलबी पेश नही करने पर खारिज कर दिया गया।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2011(4) पेज 438 का अवलोकन किया इसमें अभिनिर्धारित किया है कि' Civil Procedure Code, 1908, O.41R.19- Appeal - Dismissal in default Restoration - Delay of 2186 days- Appeal dismissed due to mistake of counsel - Litigant not to suffer due to mistake of counsel - Appeal restored subject to deposit of Rd.251/- As costs. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में एवं प्रकरण का तकनिकी आधार पर निस्तारण नही कर गुणावगुण पर निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये बाज दायरी आवेदन में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 9 नियम 5 सीपीसी निरस्त किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 19 स्वीकार किया जाकर बाज दायरी आवेदन सख्या 18/2014 में पारित आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.12.2018 को निरस्त किया जाता है एवं 1000 रूपये कोस्ट पर बाज दायरी आवेदन संख्या 18/2014 को पुन नम्बर पर लिया जाकर पुन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर